(b) Whenever investigation of such cases substantiates that the passports were fradulently obtained, necessary action is taken under the Passport Act 1967.

Indians in Erstwhile States of USSR

2087. SHRI T. VENKAT RAM REDDY:

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of Indians at present in various States which constituted the erstwhile USSR;

(b) whether Government ascertained the difficulties being faced by them; and

(c) if so, what is being done in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) The number of Indians in various States of erstwhile USSR is given in the enclosed Statement. (*See* below).

(b) and (c) The Government maintains regular contact with the local Indian community through Indian Missions. Whenever any difficulty is faced by them it is taken up with the local Government for its redressal.

Statement

The numbers of Indians in various states of erstwbile U.S.S,R,

1.	Armenia	350
2.	Azerbazan	45
3.	Belarus	100
4.	Estonia	N.A.
5.	Georgia	150
6.	Kazakhitan	300
7.	Kyrgyzstan	124
8.	Latvia	50
9.	Moldova	N.A.
10.	Russia	4,200
11.	Tadzhikistan	80
12.	Turkmenitan	123
13.	Ukraine	1,600
14.	Uzbekistan	70
15.	Lithunia	Nil.

(N.—A. Not available

राष्ट्रमंडल के सदस्य देश

2088. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रमण्डल के कौन-कौन से देश सदस्य हैं ;

(ख) कौन-कौन से देश इस समय राष्ट्र-मंडल की सदस्यता के लिय प्रयास कर रहे हैं ;

(ग) इस मुद्दे पर भारत का क्या रवैया है ; और

(घ) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत को क्या लाभ पहुंचा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) राष्ट्र मंडल के वर्तमान सदस्य देशों की सूची संलग्न है।

(ख) केमरून ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के लिये आवेदन किया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्र मण्डल सचिवालय को यह बता दिया है कि केमरून द्वारा राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ग्रहण करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) राष्ट्र मण्डल, अपने लोगों के समान हितों के बारे में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शान्ति के संवर्द्धन के संबंध में परस्पर परामर्श और सहयोग करने वाले स्वतन्त्र संप्रभुता–सम्पन्न राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है। भारत लोकतंत्र, पारस्परिक सहिष्णुता तथा विधि-सम्मत शासन जैसे बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों जिनसे राष्ट्रमण्डल देश सहमत हैं, के संवर्द्धन के लिए राष्ट्र मण्डल के मंचों पर एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत ने राष्ट्रमण्डल के प्रयासों में पर्याप्त योगदान भी किया है, जिनका उद्देश्य पृथग्वासन के खिलाफ संघर्ष के लिए तथा सार्वभौमिक शान्ति और निरस्त्रीकरण के संवर्द्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अग्रसर करना है। भारत तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध राष्ट्र मण्डल कोष जिसका वह संसाधन तथा भारतीय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने